

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]
No. 152]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2007/भाद्र 14, 1929
DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2007/BHADRA 14, 1929

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 154
[N.C.T.D. No. 154

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2007

सं. फा. 7(50)/85/ए.एच.डी./भाग-3/2466.—कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार की दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. 23-116/84-एल.डी.टी. (एल.एच.एस.) (खण्ड 2) के साथ पठित दिल्ली पशु-चिकित्सा परिषद् नियमावली, 1988 के नियम 3.1 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा 1 के खण्ड "क" के अधीन दिल्ली पशु-चिकित्सा परिषद् के सदस्यों को चुनने के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अध्याय 7 के अधीन रखे गये दिल्ली पशु-चिकित्सा प्रैक्टिशनर रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों को बुलाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

वी. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th September, 2007

No. F. 7(50)/85-AHD/Part-III/2466.—In pursuance of Rule 3.1 of Delhi Veterinary Council Rules, 1988, read with Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Agriculture and Cooperation), New Delhi Notification No. 23-116/84-LDT (LHS) (Vol. II) dated 17th December, 1985, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi call upon the persons enrolled in the Delhi Veterinary Practitioners Register maintained under

Chapter VII of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), to elect members of Delhi Veterinary Council under Clause (a) of Sub-section (1) of Section 32 of the said act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

V. K. GUPTA, Jt. Secy.

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 सितम्बर, 2007

सं. फा. 5(16)/2003/भू. व भ./प्रशासन/8178.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 157 तारीख 1 जनवरी, 1970 द्वारा पठित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3(डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री गुरविन्दर पाल सिंह, सुश्री/श्रीमती पूनम चौधरी, सुश्री/श्रीमती राज रानी मित्रा, को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली क्रमशः सुश्री/श्रीमती नीना बी. कृष्णा, श्री अजय कुमार कुहर, श्री राकेश सिद्धार्थ के स्थान पर और श्री बी.एस. चुम्बक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (जल्द निस्तारण न्यायालय), श्री सुनील कुमार अग्रवाल के स्थान पर उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण सम्बन्धित मामलों के विचारण व निस्तारण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, में कार्यभार संभालने की तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ताराचन्द नाख, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th September, 2007

No. F. 5(16)/2003-L&B/Admn./8178.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of Section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 read with the Government of India Ministry of Home Affairs No. S.O. 157 dated the 1st January, 1970, the Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mr. Gurvinder Pal Singh, Ms. Poonam Chaudhary, Ms. Raj Rani Mittra as Additional District Judges, Delhi in place of Ms. Neena B. Krishna, Mr. Ajay Kumar Kuhar and Mr. Rakesh Siddhartha respectively and Mr. B. S. Chumbuk as Additional District Judge (Fast Track Court), Delhi in place of Mr. Sunil Kumar Aggarwal for trial and disposal of Land Acquisition Cases under the abovesaid Act in the National Capital Territory of Delhi with effect from the date they take over the charge.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

T. C. NAKH, Addl. Secy.